उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 05 आषाढ़, शक संवत्, 1941

(दिनांक : 26 जून, 2019)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **''ख''**)
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम शहीद गांव कुंजा बहादरपुर में विशेष दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गौतम सिंह, ग्राम-कुंजा बहादरपुर, पो0-चुड़ियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडली में बारात घर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री आयुष पुत्र श्री शीशपाल, ग्राम-डाडली, पो0-सिरचन्दी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम चुडियाला में बारात घर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुखलाल बाग्ले, पुत्र श्री दयाराम, ग्राम व पो0 चुडियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''राजकीय पी0जी0 कालेज नई टिहरी के भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री विक्रम सिंह कठैत, निवासी जी ब्लाक, नई टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''चम्बा मसूरी फल पट्टी के कास्तकारों को आंवटित पट्टों के नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री चरण सिंह कण्डारी, ग्राम व पो0 मजगांव सकलाना, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''टिहरी झील में कैचमेन्ट एरिया में भूमि संरक्षण एवं संर्वधन के लिए टी0एच0डी0सी0 द्वारा लम्बे समय से वचबद्ध धनराशि न दिये जाने के सम्बन्ध में" श्री अमर सिंह, ग्राम-चोपड़ा पो0 पातिनियादेवी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा "विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त चल रहे अध्यापकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में" श्री भरत सिंह नेगी, अध्यक्ष गोनगढ़ विकास संघर्ष समिति विकास खण्ड भिलंगना, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

13. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

14. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

15. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)

16. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

17. पंचायती राज मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

18. पंचायती राज मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाय।

19. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :
दिनांक : 25 जून, 2019

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

द्वितीय सत्र, 2019
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार,
आषाढ़ 05, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 26 जून 2019)

नत्थी 'क'

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत द्वितीय सत्र 2019 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल
08.1.2019

एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त।

*1 क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कितने नगर निकायों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है? इस मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को भी खुले शौच से मुक्त करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
08.1.2019

*2 क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जो उपग्राम बस्तियां, राजस्व ग्राम तथा ग्राम पंचायतें, नगर पंचायत, नगरपालिका तथा नगर निगमों में शामिल की गई हैं, ऐसे गांवों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई अतिरिक्त बजट अथवा राजकीय अनुदान सरकार द्वारा विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत कर जारी किया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले बजट से यह क्षेत्र वंचित हो गये हैं और नगर निकायों द्वारा भी विकास कार्य ऐसे ग्रामों/क्षेत्रों में नहीं कराये जा रहे हैं? क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में विशेष विकास योजनाएं/कार्यक्रम संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

द्वितीय सत्र, 2019
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार,
आषाढ़ 05, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 26 जून 2019)

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

सदस्य	प्रश्न	विभाग
श्री देशराज कर्णवाल 23.04.2019	द्वितीय बुधवार के तारांकित–4 में स्थानान्तरित। *1. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के किनारे बसी बस्तियों द्वारा नदियों में सीवर बहाया जा रहा है जिससे नदियों में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है? क्या सरकार द्वारा नदियों में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु कोई नीति तैयार की गई है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यावरण
श्री मनोज रावत 24.04.2019	*2. क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा न्यूनतम वेतनमान एवं फैक्ट्री कानून का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हां तो क्या सरकार इस प्रकार की औद्योगिक इकाईयों पर अंकुश लगाकर मजदूरों के शोषण को बन्द करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री देशराज कर्णवाल 30.4.2019	*3. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में अधिकांश वन सम्पदा को दावानल के कारण नष्ट होने से बचाने हेतु सरकार की कोई ठोस योजना है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री देशराज कर्णवाल 2.5.2019	*4. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि संविधान के 74वें संशोधन का प्रदेश में पालन सुनिश्चित किया गया है? क्या उक्त संविधान संशोधन के प्राविधानों के अन्तर्गत आने वाले सभी विभाग स्थानीय सरकार के अधीन कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो स्थानीय स्वायत्त शासन के अधीन कौन–कौन से व कुल कितने विभाग किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 08.05.2019	*5. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा क्या–क्या पूर्व तैयारियां तथा उपाय किये जा रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि फायर सीजन में पर्याप्त मानव संसाधन की भारी कमी के कारण भी आग पर समय पर काबू क्यों नहीं पाया जाता है ? क्या सरकार जंगलों पर लगने वाली आग को बुझाने के लिए परम्परागत तरीकों के इस्तेमाल के साथ–साथ वन पंचायतों/युवक मंगल दलों का सहयोग लेगी और उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए ऐसी वन पंचायतों तथा दलों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन एवं पर्यावरण

श्री खजान दास 08.05.2019	*6. क्या वन मंत्री अवगत करायेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश में सड़कों के नव निर्माण/विस्तारीकरण हेतु वन विभाग में लोक निर्माण विभाग, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, ऊर्जा आदि विभागों के कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने सम्बन्धी कुल कितने प्रस्ताव विभागवार लम्बित हैं? क्या सरकार प्रदेश में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न होने के कारण विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों में कार्य प्रारम्भ करने में हो रही देरी को देखते हुये जनहित में शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो, क्यों?	वन
श्री खजान दास 08.05.2019	**एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त।** *7. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड प्रदेश भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशीनल क्षेत्र है तथा शहरी क्षेत्रों में सैकड़ों वर्ष पुराने निर्मित भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं? क्या सरकार द्वारा भूकम्प से होने वाली जनहानि को रोकने हेतु विभिन्न शहरी क्षेत्रों देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी आदि शहरों/नगरों में गिरासू भवनों का चिन्हीकरण किया जा चुका है? भूकम्प आने पर जीर्ण–शीर्ण भवनों के कारण कम से कम जनधन की हानि हो, इस हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस नीति बनाई जा रही है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 13.05.2019	**मा0 सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन होने एवं केन्द्रीय विषय होने के आधार पर निरस्त।** *8. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश में ऑल वैदर मोटर मार्ग निर्माण में लगी कम्पनियों द्वारा सैकड़ों स्थानों पर मलवे को नदियों में डाला जा रहा हैं? क्या यह भी सत्य है कि निर्माण कम्पनियों द्वारा मलवे को सीधे नदियों में डाले जाने से छोटे–बड़े पेड़–पौधों, वनस्पतियों, नदियों में पलने वाली मछलियों को भारी क्षति पहुचायी जा रही है? क्या सरकार बतायेगी कि निर्माण कम्पनियों को पर्यावरण मन्त्रालय से मलवा डम्पिंग के लिए कुल कितने डम्पिंग जोन की स्वीकृति प्राप्त है, और क्या केवल उन्हीं स्वीकृत डम्पिंग जोन में मलवा डम्प किया जा रहा है? क्या सरकार द्वारा अवैध रूप से की जा रही डम्पिंग पर कोई कार्यवाही अब तक की गई है? उनका विवरण क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं पर्यावरण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 13.05.2019	*9. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन विभाग के निवर्तन पर कुल कितने वन मोटर मार्ग हैं, जिनका निर्माण वन विभाग द्वारा किया गया था ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में वन मोटर मार्गों के उचित रख–रखाव की स्थिति अत्यन्त खराब है एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों द्वारा इन क्षतिग्रस्त वन मोटर मार्गों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण की मांग समय–समय पर की जाती है ? क्या सरकार प्रदेश भर के इन बन्द पड़े व क्षतिग्रस्त वन मोटर मार्गों का पुनर्निर्माण/सुधारीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन एव पर्यावरण

<u>अतारांकित प्रश्न</u>

श्री देशराज कर्णवाल 15.04.2019	**केन्द्रीय विषय होने के आधार पर निरस्त।** 1. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अनु0 जाति के आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित जगहों पर जो पेट्रोल पम्प लगाये जाने की रिक्तियां निकाली हैं तथा जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पास अपनी स्वयं की जमीन नहीं है तो क्या विभाग द्वारा उन आरक्षित जगहों पर विभाग से जमीन मांगने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि आवंटन की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री देशराज कर्णवाल 16.4.2019	2. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी विकास विभाग में कितने बैकलॉग के पद रिक्त है? यदि हां तो उन्हें भरने की सरकार की क्या कोई योजना है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल 18.4.2019	3. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आवास विभाग में बैकलॉग के पद रिक्त है ? यदि हां तो उन्हें भरने की सरकार की क्या कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री देशराज कर्णवाल 22.04.2019	4. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बीच कैम्पिंग पॉलिसी मंजूर की गयी है? यदि हां, तो क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? क्या वन्य जीव अभ्यारण्यों की दो कि0मी0 की परिधि पर लागू किये गये नियम बीच कैम्प पर भी लागू होंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री देशराज कर्णवाल 23.04.2019	5. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा झबरेड़ा में फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीलाखाला में प्रवाहित होता है, जिससे सीलाखाला का पानी किसानों के इस्तेमाल करने लायक नही रह गया है? क्या सरकार झबरेड़ा फैक्ट्रियों के गन्दे पानी को सीलाखाला से रोकने हेतु कोई उपाय कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री देशराज कर्णवाल 24.04.2019	6. क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन एवं वन्य जीव विभाग में कितने बैकलाग के पद रिक्त है? यदि हां तो उन्हे भरने की सरकार की क्या कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री खजानदास 25.04.2019	7. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों मे जंगली जानवरों द्वारा जहां एक ओर किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद कर उन्हें पलायन के लिए मजूबर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहरी एवं पर्यटक स्थलों पर बन्दरों एवं लंगूरों के आतंक से बच्चे, बूढ़े एवं महिलायें सभी त्रस्त हैं ? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों मे जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को निजात दिलाने के लिए रोकथाम एवं शहरी/पर्यटन क्षेत्रों में बन्दरों एवं लंगूरों के आतंक से निजात दिलाने हेतु कोई ठोस नीति बना रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन

श्री धन सिंह नेगी 26.4.2019	8. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को आवास देने की योजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी व चम्बा में उक्त योजना की प्रगति क्या है?	शहरी विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 29.4.2019	9. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मोरियाणा–खाद सौंद वन मोटर मार्ग काफी लम्बे समय से क्षतिग्रस्त हैं? क्या यह सत्य है कि स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त वन मोटर मार्ग के सुधारीकरण की मांग की जा रही है? यदि हां, तो उक्त वन मोटर मार्ग का सुधारीकरण/पुनर्निर्माण कब तक करवाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री देशराज कर्णवाल 1.5.2019	10. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत झबरेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कोई अधिकृत वाहन पार्किंग न होने के कारण मार्गों पर वाहनों द्वारा अतिक्रमण से नगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था अत्यधिक अव्यवस्थित रहती है जिसके फलस्वरूप निरन्तर दुर्घटनायें होती रहती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पालिका क्षेत्र झबरेड़ा में बहुद्देशीय वाहन पार्किंग का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 2.5.2019	11. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत ग्राम लालडू (मुंगलोड़ी) वि0ख0 जौनपुर, जनपद टिहरी गढ़वाल निवासी श्री सत्ये सिंह, पुत्र शंकर सिंह को पालतु पशु, वर्ष 2016 में बाघ द्वारा मारा गया था? विभाग द्वारा अभी तक इनका प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया? क्या सरकार बतायेगी कि प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान कब तक करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री धन सिंह नेगी 3.5.2019	12. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक इको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या–क्या कार्यवाही की गयी है? क्या यह भी सत्य है कि इको टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर उन क्षेत्रों को टूरिस्टों के लिए खोला जायेगा? यदि हां तो उनकी विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत कणाताल, चम्बा क्षेत्र, रानीचौरी, डाडाचलि, नई टिहरी, कौडिया, कोटि कॉलोनी आदि को अधिसूचित कर इको टूरिज्म बेल्ट के रूप में विकसित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री देशराज कर्णवाल 3.5.2019	13. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा में नगर पालिका के विस्तारीकरण (सीमा बढ़ाने) हेतु कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो योजना का कब तक क्रियान्वयन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास

श्री देशराज कर्णवाल 06.05.2019	14. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभाग द्वारा पौध लगाने, प्रशिक्षण व भ्रमण कार्यक्रम कराये गये थे ? यदि हां, तो उक्त कार्यक्रमों से प्रदेश में कितनी महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआा है तथा उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री देशराज कर्णवाल 07.05.2019	15. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2017 से 2018 के बीच प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदेश के नगर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस धनराशि से विकसित की गई अवस्थापना सुविधाओं का विवरण क्या है ?	शहरी विकास
श्री धन सिंह नेगी 07.05.2019	16. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन के तहत नगर क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की समस्या का स्थायी समाधान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनकी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा व नई टिहरी नगर पालिका क्षेत्र के कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिए डी0पी0आर0 तैयार कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त डी0पी0आर0 की धनराशि कब तक स्वीकृत हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास
श्री धन सिंह नेगी 08.05.2019	17. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में वाह्य सहायतित योजना के तहत जायका व कैम्पा के प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना का विवरण क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि जायका योजना में गांवों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो टिहरी जनपद में उक्त योजना में किन–किन गावों का चयन हुआ है तथा उन पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री धन सिंह नेगी 08.05.2019	18. क्या आवास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भागीदारी किफायती योजना (ए.पी.एच.) लागू हैं? यदि हां तो, अभी तक उक्त योजना के तहत राज्य की प्रगति का विवरण क्या है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त योजना के तहत प्रत्येक जिले में चिन्हीकरण के आदेश दिये गये हैं? यदि हां तो, क्या सरकार टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नई टिहरी व चम्बा नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उनके सत्यापन के बाद अन्तिम सूची में अर्हतापूर्ण करने वाले लाभार्थियों की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? क्या उक्त योजना के तहत राज्य सरकार जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्राविधान कर चुकी हैं? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री खजान दास 08.05.2019	19. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर राजपुर रोड विधान सभा में अतिक्रमण हटाया गया था तथा नालियों को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया था? क्या मा0 मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि अतिक्रमण मुक्त की गई खुली नालियों को अब तक भी ढका नहीं गया है जिस कारण जनमानस को अवागमन में दिक्कतें पैदा हो रही हैं? क्या सरकार राजपुर रोड विधान सभा अन्र्तगत मुक्त खुली नालियों को ढकने हेतु उचित धनराशि की स्वीकृति करेगी? यदि हां तो, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास

श्री देशराज कर्णवाल 09.05.2019	20. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में श्रम विभाग की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा नवीन योजनाओं में कितने श्रमिक अभी तक पंजीकृत कराये गये तथा कितने श्रमिक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री राजकुमार 13.05.2019	21. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में कौन–कौन सी योजनाऐं कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए चलाई जा रही हैं और किन–किन विधान सभाओं को इसका लाभ मिला है? क्या पुरोला विधान सभा इसमें शामिल है? यदि हां, तो उन श्रमिकों को दी जाने वाली लाभ की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या मनरेगा श्रमिक इसके अन्तर्गत आते हैं? यदि हां, तो इनको अभी तक क्या–क्या लाभ मिला है? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री देशराज कर्णवाल 15.05.2019	22. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा अन्तर्गत ऐतिहासिक वट वृक्ष सुनहरा अम्बेडकर नगर, जहां राजा विजय सिंह व उनके सेनापति कल्याण सिंह सहित 152 सैनिकों को फांसी दी गयी थी एवं मा0 मुख्यमंत्री द्वारा इसके सौन्दर्यीकरण एवं सुरक्षा की घोषणा की गयी है? यदि हां, तो इस वट वृक्ष के सौन्दर्यीकरण, रखरखाव, सुरक्षा व ऐतिहासिक धरोहर के दृष्टिगत सरकार क्या योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.05.2019	23. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में संगठित व असंगठित क्षेत्रों में कुल कितने मजदूर कार्यरत/पंजीकृत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इन मजदूरों को प्रतिदिन न्यूनतम कितनी मजदूरी का भुगतान किया जाता है और क्या इन मजदूरों को माह के प्रत्येक दिवस को कार्य पर रखा जाता है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन मजदूरों का ई.पी.एफ./बोनस/चिकित्सा आदि सुविधाओं के लिए विशेष उपाय सरकार द्वारा किये जाते हैं? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.05.2019	24. क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि किसी राज्य की तरक्की में कामगारों अथवा मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ? क्या सरकार कामगारों/मजदूरों के कल्याण हेतु अलग से आयोग का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम

नत्थी-"ग"

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 25 जून, 2019 की बैठक में दिनांक 26 जून, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

जून, 2019

26 (बुधवार) **विधायी कार्यः-**

उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। (15 **मिनट**)